



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक:- /लेखा/ 2019-20

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

मेरठ विकास प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-08-2019 में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया:-

मा0 बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं आवासीय भूमि की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये जो निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 की स्वीकृत दरें	बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 31-03-2020 तक) की दरों का विवरण-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेदव्यासपुरी योजना	16800/-	18480/-
2.	शताब्दी नगर योजना	11500/-	12650/-
3.	सैनिक विहार योजना	12300/-	13530/-
4.	रक्षापुरम् योजना	12300/-	13530/-
5.	मेजर ध्यानचन्द नगर योजना	13200/-	14520/-
6.	लोहिया नगर योजना	11700/-	12870/-
7.	पल्लवपुरम फेस-1 व फेस-2 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
8.	श्रद्धापुरी फेस-1 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
9.	श्रद्धापुरी फेस-2 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
10.	डिफेन्स एन्क्लेव योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
11.	गंगा नगर फेस-1, फेस-2, फेस-3 व एक्सटेंशन योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
12.	पांडव नगर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
13.	विकास विहार योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
14.	बेगम बाग अपार्टमेंट योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट

Amit Kumar 18

449/का3230
11-9-19

श. श. श. श.
11/9/19

15.	आलोक विहार (भूमिया का पुल) योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
16.	सूरजकुण्ड वर्क सेन्टर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
17.	हर्ष नगर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट

उपरोक्त योजनाओं में वृद्धि की गयी आवासीय सैक्टर दरों का प्रभाव पूर्व में दिनांक 15.02.2018 को सम्पन्न 110वीं बोर्ड बैठक के मद सं० 16 के अर्न्तगत दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैट्स, भवन व विलॉज की फीज की गयी कीमतों पर नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्तानुसार प्राधिकरण की योजनायें जो नगर निगम को हस्तान्तरित हैं, उन सभी योजनाओं में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित आवासीय सर्किल दरें ही योजनाओं की आवासीय दरें मानी जायेगी, तथा इन योजनाओं में आवासीय सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य तय करने में जिलाधिकारी के सर्किल रेट पुस्तिका के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

शेष योजनाओं में आवासीय सम्पत्ति की दरें, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णयानुसार तालिका में उल्लिखित दरें ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रेतर आदेशों तक लागू रहेंगी।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित आवासीय दरों के आधार पर शेष अन्य सम्पत्तियों यथा व्यवसायिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं कार्यालयों आदि की दरें, आवास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार निर्धारित की जायेगी।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पुष्पांकन एवं दिनांक उक्तवत्।
दिनांक 11-5-19

पुष्पांकन एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय, को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य अभियन्ता, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य नगर नियोजक, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षक अभियन्ता, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।